951
14/2/13

खण्ड : 2

बिहार विधान मंडल पुस्तकालय
शोध/संदर्भ ग्रंथ

संख्या : 20

एकादश बिहार विधान-सभा वादवृत्त

(द्वितीय सत्र)

(भाग-2 कार्यवाही प्रश्नोत्तर रहित)

सत्यमेव जयते

सोमवार, दिनांक : 26 जून 1995 ई०

951
14/2/13

बिहार विधान मंडल पुस्तकालय
शोध/संदर्भ ग्रंथ

खण्ड-2 संख्या-20

एकादश बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सोमवार, तिथि 26 जून, 1995 ई०

भाग-2 कार्यवाही प्रश्नोत्तर रहित

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य-विवरण ।

सभा का अधिवेशन पटना के सभा सदन में सोमवार, तिथि 26 जून, 1995 ई० को पूर्वाह्न 11.00 बजे अध्यक्ष **श्री देव नारायण यादव** के सभापतित्व में प्रारम्भ हुआ।

पटना
तिथि 26 जून, 1995 ई०

युगल किशोर प्रसाद
सचिव
बिहार विधान-सभा

खण्ड-2 संख्या-20

एकादश बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सोमवार, तिथि 26 जून, 1995 ई०

भाग-2 कार्यवाही प्रश्नोत्तर रहित

विषय-सूची

1. कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना
2. शून्यकाल की चर्चाएँ :

(क) पुलिस पदाधिकारी के विरूद्ध आरोप ।

(ख) गढ़वा ज़िले में पशु औषधि की व्यवस्था ।

(ग) नाला की सफाई एवं मरम्मति ।

(घ) सड़क का निमार्ण ।

(ङ) पटना गया रोड की मरम्मति ।

(च) स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की शाखा खोलने का अनुरोध ।

(छ) सुरक्षा की व्यवस्था ।

(ज) परीक्षाफल का प्रकाशन ।

(झ) थाना प्रभारी के विरूद्ध आरोप ।

(ञ) भोजन की उचित व्यवस्था ।

(ट) भैरवी जलाशय योजना [illegible] पूरा करना ।

(ठ) वर्षा से प्रभावित लोगों को राहत ।

(ड) आपातकाल में मृत एवं अपाहिज हुए लोगों के परिवार को मुआवजा।

(ण) जन वितरण प्रणाली की सुदृढ़ व्यवस्था।

(त) अपहरण के विरूद्ध कार्रवाई।

(थ) कोल्ड स्टोरेज के अधूरे कार्य को पूरा करना।

(द) प्रबन्ध निदेशक को विरूद्ध आरोप।

(ध) अपर समाहर्त्ता को स्थानान्तरण।

(न) बधशाला बन्द करने की मांग।

3. **अत्यावश्यक लोक महत्त्व के विषय पर ध्यानाकर्षण।**

(क) कनहर जलाशय योजना का कार्य शीर्घ पुरा करना।

(ख) बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा में मंडल आयोग की अनुशंसा लागू करना।

(ग) अस्पताल में डाक्टर एवं साज–समानों की व्यवस्था

4. **विधायी कार्य :** बिहार विनियोग विधेयक, 1995 की स्वीकृति पर वाद–विवाद (दिनांक 23 जुलाई 95 से जारी।)

5. कार्य–मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन।

6. विधायी कार्य–बिहार विनियोग विधेयक, 1995 सभा द्वारा स्वीकृत।

7. याचिकाओं को उपस्थापन।

8. निवेदनों का उपस्थापन।

9. दैनिक निबंध

टिप्पणी – जिन मंत्रियों एवं सदस्यों ने अपना भाषण संशोधित किया है उनके नाम के आगे तारे (*) चिह्न लगा दिये गए हैं।

एकादश बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सोमवार, तिथि 26 जून, 1995 ई०

भाग-2 कार्यवाही प्रश्नोत्तर रहित

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य-विवरण ।

सभा का अधिवेशन पटना के सभा सदन में सोमवार, तिथि 26 जून, 1995 ई० को पूर्वाह्न 11.00 बजे अध्यक्ष **श्री देव नारायण यादव** के सभापतित्व में प्रारम्भ हुआ।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

अध्यक्ष : एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव आया है जिसको मैं स्वीकृत करता हूँ लेकिन माननीय सदस्य, श्री अश्विनी कुमार चौबेजी से मैं कहना चाहता हूँ कि ज्यादा लम्बा चौड़ा जो आपने लिखकर दिया है उसको पढ़िये ।

श्री अश्विनी कुमार चौबे : अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिला एवं इसके निकटवर्त्ती बांका, गोड्डा एवं साहेबगंज जिला में सूत्रों के अनुसार विगत एक महीने में 20 निर्दोष लोगों की हत्या हुई । 150 घर जलाये गये, एक दर्जन दूकान में लूट-पाट हुई एवं 25 व्यक्ति घायल हुए । उदाहरण स्वरूप दिनांक 10 जून,

95 को भागलपुर जिलान्तर्गत सजोर थाना के दरियापुर ग्राम में पुलिस के सामने अन्य समुदाय के गुण्डों ने शनिचर शाही की पत्नी ललिता देवी एवम् बब्लू पासी (चौधरी) की छूरा भोंक कर हत्या कर दी, उसके पूर्व भागलपुर जिला के लोदीपुर, जगतपुर एवं भागलपुर के निकटवर्त्ती जिला बांका के अमरपुर थानान्तर्गत पवई ग्राम में विगत 17 जुलाई 95 को उत्पन्न साम्प्रदायिक में एक व्यक्ति की हत्या एक दर्जन घायल, आधा दर्जन से भी अधिक दूकानों में लूट-पाट 10-15 लोगों के मवेशियों को भगा ले जाना आदि तांडव नृत्य हुआ। तत्पश्चात् दिनांक 14/15,-6-95 उक्त पवई गांव में दो हरिजनों स्व० दूधराज दास एवं विभीषण दास (दोनों बाप-बेटा) की सुप्तावस्था में अन्य सम्प्रदाय के गुण्डों द्वारा गोली मारकर हत्या। उक्त घटनायें साम्प्रदायिक उन्माद के कारण हुआ। लोग घरों को छोड़कर रह रहे हैं। सम्पूर्ण क्षेत्र में भय और आतंक व्याप्त है। उनकी जान-माल सब असुरक्षित हो गई है। अब सरकार मृतकों के आश्रितों को (भागलपुर) दो-दो लाख मुआवजा राशि का भुगतान, सरकारी नौकरी एवं सुरक्षा दें। उसके अतिरिक्त भागलपुर, गोड्डा, साहेबगंज जिलों में विगत एक माह में सुनियोजित ढंग से नक्सलवादी तत्वों द्वारा कुमार वटेश्वर सिंह (महगामा, गोड्डा) गोपाल दूबे (साहेबगंज) एवं अन्य दो का गला रेतकर हत्या। उक्त क्षेत्र धीरे-धीरे नक्सल प्रभावित होते जा रहे हैं।

साथ-ही-साथ मध्य बिहार में सुनियोजित ढंग से कतिपय प्रतिबंधित संगठनों द्वारा उग्रवाद की कार्रवाईयां बड़ी तेजी से चलायी

जा रही हैं। इन संगठनों के पारस्परिक खूनी संघर्ष में अनेक निर्दोष लोगों की हत्यायें हुई हैं। साधन-विहीन पुलिस बल स्वयं की भी रक्षा करने में असमर्थ है। कतिपय पुलिसकर्मियों का ऐसे तत्वों से साँठ-गाँठ भी है। स्थिति अत्यंत ही विस्फोटक होती जा रही है। राज्य में कई जिला उग्रवाद से आक्रांत हैं।

राज्य में आए दिन हत्या-लूट, बलात्कार, फिरौती के लिए अपहरण, लड़कियों को जबरदस्ती भगाया जाना, रंगदारी टैक्स वसूली की घटनाओं में बड़ी तेजी से वृद्धि हो रही है। जन-जीवन दूभर हो गया है। सामूहिक हत्याओं का सिलसिला जारी है।

मैंने दिनांक 29.5.95 को राज्य की निरन्तर बिगड़ती विधि-व्यवस्था पर नियम 105 के तहत अल्प अवधि के लिए चर्चा की सूचना भी दिया है, इसको शायद अनसूनी कर दी गयी।

अध्यक्ष : चौबे जी, अब आप बैठिए। आपने तो लम्बा-चौड़ा भाषण शुरू कर दिया।

(व्यवधान)

श्री अश्विनी कुमार चौबे : अध्यक्ष महोदय, वहाँ रोज हत्यायें हो रही हैं, रोज अपराध हो रहे हैं, वहाँ साम्प्रदायिक उन्माद फैल रहा है।

अध्यक्ष : चौबे जी, आपको यदि इस पर भाषण देना हो तो अभी आ रहा है विनियोग विधेयक, उसमें आप भाषण दीजिएगा।

माननीय मंत्री जी, आप इसकी सूचना ग्रहण कर लें और इसको देख लें और हो सके तो आज या कल इसका उत्तर दीजिएगा।

श्री रघुनाथ झा : अध्यक्ष महोदय, आपका निर्देश होगा तो सूचना तो ग्रहण कर लेंगे लेकिन ये तो इतना लंबा-चौड़ा भाषण दे दिया।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आपलोग बैठिए न। हमने मंत्रीजी को सूचना ग्रहण करने के लिए कहा और वे बाद में इसका जबाब देंगे।

श्री अश्विनी कुमार चौबे : अध्यक्ष महोदय, जवाब के लिए एक समय निर्धारित करवाईये।

अध्यक्ष : मंत्री जी सूचना ग्रहण किया है, आप भी उनको उसकी एक प्रति लिखकर दे दीजिए। चौबे जी की कोई बात अब न प्रोसिडींग में जायेगी और न प्रेस में।

(व्यवधान)

श्री उपेन्द्र नाथ दास : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, चौबे जी ने कार्य-स्थगन प्रस्ताव दिया और आपने उसको अस्वीकृत कर दिया लेकिन आपने उनको पढ़ने की अनुमति दी तो...

अध्यक्ष : आप बैठिए न। मंत्री जी को मैंने सूचना ग्रहण करने के लिए कहा और वे बाद में तय करके जबाब होगा तो देंगे।